

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

सं. 04/2020- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 605(अ.).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1), और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 20क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2020” के स्थान पर अंक “2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 20ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2020” के स्थान पर अंक “2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/123/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि 972(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

No. 04/2020- Integrated Tax (Rate)

G.S.R..605(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 20A, in the entry in column (5), for the figures “2020”, the figures “2021” shall be substituted;
 - (ii) against serial number 20B, in the entry in column (5), for the figures “2020”, the figures “2021” shall be substituted;
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2020.

[F. No.354/123/2020 -TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 27/2019 - Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2019 *vide* number G.S.R. 972 (E), dated the 31st December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

सं. 04/2020-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 606(अ.).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2020” के स्थान पर अंक “2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2020” के स्थान पर अंक “2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/123/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि 974(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।